न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 21 / 2023
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र टेक सिंह निवाली वार्ड नं. 03, गोलूवाला तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री विजय कौशिक अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –17.02.2025

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.09.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ 2 एच.डी.पी रोड, गोलूवाला में स्थित लड्डू मोटर गैराज़ पर घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित गैराज मालिक श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र टेक सिंह की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 इलेक्ट्रोनिक मोटर जो पाईप एवं रेगुलेटर लगाकर वाहनों में LPG गैस रिफिलिंग करने हेतु रखे पाये गये। पूछताछ पर गैराज मालिक श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र टेक सिंह द्वारा गैराज पर वाहनों में LPG गैस रिफिलिंग करना स्वीकार किया एवं LPG भण्डारण एवं रिफिलिंग हेतु सक्षम स्वीकृती अथवा लाईसेंस नहीं होना बताया। मौके पर श्री बलजिन्द्र सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से पाये गये 09 घरेलू गैस सिलेण्डर 02 इलेक्ट्रोनिक मोटर से दुकान में LPG घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी का होना स्पष्ट करता है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (ख), 4(1) (क) 4(2) एवं 6 का स्पष्ट उलंघन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूंकि मौके पर श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र टेक सिंह द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (ख), 4 (1) (क), 4(2) एवं 6 का स्पष्ट उलघन पाया गया है अतः मौके पर पाया गया समस्त सागान 9 घरेलू गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप रेगुलेटर को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री बाबूलाल पुत्र रामप्रताप हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर गिल गैस एजेंसी गोलूवाला की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी द्वारा वाहनो में एलपीजी गैस रिफिलिंग करने का कोई कार्य नही किया जाता है। मुझ प्रार्थी द्वारा गैराज पर वाहनो में एलपीजी गैस रिफिलिंग करना स्वीकार किया एवं एलपीजी भण्डारण एवं रिफिलिंग के तथ्य पूर्णतया निराधार है तथा प्रार्थना पत्र को रंग देने के लिए गलत दर्ज किये गये है। प्रार्थी के गैराज पर जब्तशुदा सिलेण्डर गैस एजेन्सी की सप्लाई हेतु रखे गये थे, क्योंकि गैस सप्लाई वाहन केवल मात्र प्रार्थी की उक्त गैराज पर ही आकर रूकता है जिसके लिए ग्रामीण लोग अपना–अपना गैस सिलेण्डर गैस भरवाने के लिए प्रार्थी के गैराज पर रख देते है ताकि उन्हे गैस सप्लाई लेने में सुविधा हो और इधर–उधर जाना नही पड़े। प्रार्थी के गैराज पर दौराने जांच मिले गैस सिलेण्डर किसी गलत उदेश्य से नही रखे गये थे। प्रार्थना पत्र में वर्णित एलपीजी गैस भण्डारण एव रिफिलिंग के तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज किये गये है जो अस्वीकार है क्योकि इन तथ्यो का कोई विधिक आधार नही है। मुझ प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही किया गया है। प्रार्थी सद्भावी है। जब्त शुदा इलेक्ट्रोनिक मोटर प्रार्थी के स्वंय के घरेलू उपयोग हेतू गैराज में सद्भावना से रखी हुई थी। अंतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही खारिज फरमाई जावे एवं जब्तशुदा सामान प्रार्थी को लौटाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा मौके पर पाये गये 9 घरेलू गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप रेगुलेटर जब्त किया गया है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3(ख), 4(1)(क), 4(2) एवं 6 का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप रेगुलेटर जब्त किया गया है। इस प्रकार घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया।
2. जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (ख), 4(1)(क), 4(2) एवं 6 का उल्लंघन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डर 2 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप रेगुलेटर को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

( उम्मेदीलाल मीना )
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़